



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

22 फरवरी, 2021

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि सिवान सहित बिहार के कई चीनी मिलों को बंद किया गया, बंद हुआ, उसके बाद उद्योगपतियों को देने का सरकार ने निर्णय लिया । एक टेंडर प्रक्रिया हुई जिसमें देश के कई उद्योगपतियों ने बिहार के कई चीनी मिलों पर 10 प्रतिशत की राशि दी लेकिन पिछले 10 वर्षों से अभी तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष : आप जानना क्या चाहते हैं ?

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : यह कि जिन उद्योगपतियों ने बंद चीनी मिल की जगह पर दूसरा उद्योग लगाने के लिए कार्य प्रारंभ करने हेतु 10 प्रतिशत की राशि दी, पिछले 10 साल से उसके बाद से क्या प्रोग्रेस है अबतक ? उनका रद्द कर दिया गया या फिर उसपर काम किया जायेगा ?

अध्यक्ष : इस प्रश्न से जुड़ा हुआ पूरक करें ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य इसपर अगर अलग से प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब दिया जायेगा ।

(वेल में व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या- 9 (श्री मनोज कुमार यादव)

अध्यक्ष : श्री मनोज कुमार यादव । श्री मनोज कुमार यादव ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री शाहनवाज ।

(व्यवधान)

कई माध्यम हैं प्रश्न करने के, आप वरीय लोग हैं । कई माध्यम हैं प्रश्न करने के । माननीय मंत्री खड़े हैं जवाब देने के लिए । सुनिये । बैठ जाइये । माननीय मंत्री । (व्यवधान) समीर जी, बैठ जाइये । बैठ जाइये । माननीय सदस्य, आप वरीय सदस्य हैं, नये लोग सीखेंगे आपसे । बैठ जायें आप । (व्यवधान) समीर जी, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं ? बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 10 (श्री शाहनवाज)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, अररिया के आदेश ज्ञापांक-535 स्था0 दिनांक-11.07.2019 द्वारा श्री दीप नारायण साह, लिपिक का स्थानान्तरण प्रखण्ड कार्यालय, जोकीहाट से अनुमंडल कार्यालय, फारबिसगंज किया गया ।

2- स्वीकारात्मक है ।